न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 11/2024
3. उनवान : 1. रामूराम पुत्र श्री भूरा, जाति गुर्जर
   2. बाबुलाल गुर्जर पुत्र श्री रामूराम गुर्जर दत्तक पुत्र गुल्लाराम
   3. मदन लाल पुत्र रामूराम गुर्जर, निवासीयान–गुर्जरों की ढाणी, सुण्डों का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर, राज।

–प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत भैंसलाना, हाल ग्राम पंचायत सुण्डों का बास, पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर जरिये सरपंच हाल ग्राम पंचायत सुण्डों का बास, पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर
2. ग्राम पंचायत सुण्डो का बास, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर जरिये सचिव

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 20/11/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री तेजाराम भंवरिया निगरानीकार की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह चौहान गैर निगरानीकारान की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार का एक कब्जाशुदा स्वामित्व का आबादी भूखण्ड एवं पुख्ता मकान ग्राम पंचायत भैसलाना, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर हाल ग्राम पंचायत सुण्डो का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर आबादी भूमि में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4200 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व की ओर चारागाह भूमि, पश्चिम की ओर आबादी भूमि, उत्तर की ओर चारागह भूमि तथा दक्षिण की ओर धन्नाराम, गोपी पुत्र मांगूराम गुर्जर आदि के भूखण्ड स्थित है, की आबादी भूमि निगरानीकर्ता के नाम से है तथा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के सरपंच ने उक्त भूमि का पट्टा गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 तत्कालीन ग्राम पंचायत सुण्डो का बास के हित में जारी कर दिया। जिसकी मिसल संख्या 10 है तथा विपक्षी की जमीन दर्शित नही किया गया है, ना ही आज दिवस तक कोई कब्जा है। परन्तु विपक्षी/गैरनिगरानीकार संख्या 1 द्वारा बदनियति से प्रार्थीगण की कब्जा शुदा स्वामित्व की आवासीय आबादी सम्पत्ति उक्त फर्जी पट्टा दिनांक 11.06.2020 को जारी कर एक फर्जी पट्टा दिखाकर बनावटी पट्टे में दर्शायी गयी भूमि को जबरन प्रार्थीगण की कब्जाशुदा भूमि में से हडपना चाहता है, जबकि पट्टा के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पट्टा यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा फर्जी तैयार किया गया है। बनावटी पट्टे में दर्शित भूमि पर विपक्षी संख्या 2 का ना तो कभी कब्जा रहा है और ना ही आज की स्थिति में कहीं है। प्रश्नगत पट्टे में वर्णित भूखण्ड पर पट्टा जारी दिनांक से पूर्व व वर्तमान

अतिरिक्त, जिला कलक्टर

में विपक्षी संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है। तथाकथित बनावटी पट्टे एवं पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में जमीन के पडौस दर्शाये गये हैं, वह वर्तमान में कहीं अस्तित्व में नहीं है और ना ही पूर्व में अस्तित्व में रहे हैं एवं तथाकथित बनावटी पट्टे में कहीं पर भी प्रस्ताव संख्या, दिनांक एवं आदेश संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। उक्त कॉलम खाली है। उक्त प्रश्नगत पट्टे में जमीन प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमि है। ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पट्टे एवं नक्शे पर कारित सचिव के हस्ताक्षर भी मिलान नहीं हो रहे है। वर्तमान सरंपच द्वारा बिना मौके देखे निगरानीकार के बाडे तथा विपक्षी संख्या 2 के बनावटी पट्टे में दर्शित जमीन के पडौस एवं बार्ड पंचों की सहमति एवं कोरम के अभाव में अपने पद का दुरूपयोग करते हुये विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 के हक में कोई निर्माण स्वीकृति भी जारी नहीं की गई। जिस पर सचिव एवं अन्य वार्ड सदस्यों के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है ना ही कोई रसीद है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में सैंकडों पट्टे फर्जी तैयार किये गये है जिनकी अपीलें/निगरानियां विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है एवं तथाकथित पट्टे के विरूद्ध रिपोर्ट न्यायालय/पुलिस में पेश की गई है। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के अनुसार अनुसूची–5 नियम 271 के तहत आबादी भूमि पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्ट्रर) में कहीं अंकित नहीं है ना ही ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड है। यदि विक्रय विलेखों का रजिस्ट्रर में गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा दर्ज होता तो पट्टा पर आदेश संख्या, प्रस्ताव संख्या एवं आज्ञा संख्या एवं दिनांक अंकित होता। निगरानीकर्ता को बिना किसी सूचना बिना किसी विज्ञप्ति तथा बिना किसी आपत्ति नोटिस तथा बिना किसी आम सभा सूचना के पट्टा जारी कर दिया। प्रार्थीगण अपनी स्वामित्व की कब्जाशुदा आवासीय मकान पर 40–45 वर्षो से निवास करते आ रहे है तथा प्रार्थी का ही कब्जा है तथा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 2 के हक में भवन निर्माण जारी किया गया जो भवन अन्य जगह बनाकर संचालित हो गया है। जारी पट्टा का कही पर भी उप रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार के यहां रजिस्ट्रेशन नहीं है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत भैसलाना तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 11 दिनांक 02.09.2020 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित किया जावे।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने स्थगन प्रार्थना पत्र, अतिक्रमण नोटिस ग्राम पंचायत सुण्डो का बास, कब्जा बाबत रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रति पेश किये हैं।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकारान की ओर से अधिवक्ता गजन्द्र सिंह चौहान ने उपस्थित हुए।

गैर निगरानीकारान की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि पूर्व में ग्राम पंचायत सूण्डों का बास पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल अस्तित्व में नहीं थी न ही उक्त ग्राम पंचायत सूण्डों का बास द्वारा कोई पट्टा दिनांक 02.09.2020 पट्टा संख्या 11 गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। क्योंकि पूर्व में उक्त ग्राम पंचायत अस्तित्व में ही नहीं थी जिससे उक्त पट्टे के संबंध गैर–निगरानीकर्ता का कोई संबंध व सरोकार ही नहीं है तथा ग्राम पंचायत भैसलाना द्वारा कोई पट्टा जारी किया गया हो तो उसके लिये गैरनिगरानीकर्ता किसी प्रकार से उसके लिये उत्तरदायी नहीं है। न ही गैरनिगरानीकर्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई फर्जी पट्टा जारी किया गया है जिनका वास्तविकता से किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। वादग्रस्त पट्टा गैरनिगरानीकर्ता

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

द्वारा जारी नही किया गया है, न ही उनके द्वारा उक्त पट्टे पर हस्ताक्षर कर जारी किया गया है। उक्त सभी कार्यवाही पूर्व की ग्राम पंचायत भैसलाना के द्वारा की गयी है। जिसके लिये गैर निगरानीकर्ता किसी प्रकार से उत्तरदायी नही है। गैर–निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पट्टा जारी ही नहीं किया गया है तो उसकी प्रक्रिया/कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रश्न ही नही उठता है। गैर–निगरानीकर्ता 1 द्वारा किसी प्रकार के कोई फर्जी पट्टे की कार्यवाही नहीं की गयी हैं, न ही उसके द्वारा कोई गैर कानूनी तरीके से पट्टा ही जारी किया गया है। ग्राम पंचायत भैसलाना द्वारा कोई फर्जी पट्टा व अवैध कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं करते हुये कोई कार्यवाही की है तो उसके लिये गैरनिगरानी कर्ता किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत भैसलाना उसके लिये उत्तरदायी है। तत्कालीन सरपंच द्वारा किसी प्रकार का कोई अपने पद का दुरूपयोग कर कोई कार्यवाही कर कोई पट्टा जारी किया गया हो उसके लिये गैर–निगरानीकार जिम्मेदार नहीं है।

अन्त में निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार का एक कब्जाशुदा स्वामित्व का आबादी भूखण्ड एवं पुख्ता मकान ग्राम पंचायत भैसलाना जिसका कुल क्षेत्रफल 4200 वर्गगज है। आबादी भूमि निगरानीकर्ता के नाम से है जिस पर 40 वर्षों से निगरानीकार का कब्जा है। इस भूमि के अतिरिक्त निगरानीकार के पास कोई अन्य भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत भैसलाना के सरपंच ने उक्त भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत सूण्डो के बास के हित में जारी कर दिया। जिसकी मिसल संख्या 10 है तथा विपक्षी की जमीन दर्शित नही किया गया है ना ही आज दिवस तक कोई कब्जा है। उक्त पट्टे में कहीं पर भी प्रस्ताव संख्या, दिनांक एवं आदेश संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। उक्त कॉलम खाली है। पट्टे एवं नक्शे पर सचिव के हस्ताक्षर भी मिलान नहीं हो रहे है। सचिव एवं अन्य वार्ड सदस्यों के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है ना ही कोई रसीद है। पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के अनुसार अनुसूची–5 नियम 271 के तहत आबादी भूमि पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्ट्रर) में कहीं अंकित नहीं है ना ही ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड है। निगरानीकर्ता को बिना किसी सूचना बिना किसी विज्ञप्ति तथा बिना किसी आपत्ति नोटिस तथा बिना किसी आम सभा सूघना के पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टा जिस भवन निर्माण हेतु जारी किया गया, वो भवन अन्य जगह बनाकर संचालित हो रहा है। अतः पट्टा संख्या 11 दिनांक 02.09.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकारान ने दौराने बहस कथन किया कि पूर्व में ग्राम पंचायत सूण्डों का बास पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल अस्तित्व में नहीं थी न ही उक्त ग्राम पंचायत सूण्डों का बास द्वारा कोई पट्टा दिनांक 02.09.2020 पट्टा संख्या 11 गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। वादग्रस्त पट्टा गैरनिगरानीकर्ता द्वारा जारी नही किया गया है, न ही उनके द्वारा उक्त पट्टे पर हस्ताक्षर कर जारी किया गया है। उक्त सभी कार्यवाही पूर्व की ग्राम पंचायत भैसलाना के द्वारा की गयी है। ग्राम पंचायत भैसलाना द्वारा कोई फर्जी पट्टा व अवैध कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं करते हुये कोई कार्यवाही की है तो उसके लिये गैरनिगरानीकर्ता किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत भैसलाना उसके लिये उत्तरदायी है। अतः निगरानीकार के पट्टे की हद के अतिरिक्त भूमि का पट्टा खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत निगरानी ग्राम पंचायत भैसलाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 02/09/2020 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम पंचायत सुण्डो का बास के क्षेत्र में है। पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की रिपोर्ट दिनांक 05/02/2024 में अंकन है कि उक्त भूमि पर रामू राम पुत्र भूरा राम ने कब्जा कर रखा है जिसमें एक पक्का मकान व दो छप्पर, चारों ओर झाडियों से बाड बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है व वर्तमान में घरेलू विद्युत कनेक्शन ले रखा है। इसके अतिरिक्त निगरानीधीन भूमि ग्राम पंचायत भैसलाना द्वारा ग्राम पंचायत सुण्डों का बास को कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रदान की गई है। नव गठित ग्राम पंचायत सूण्डो का बास द्वारा दिनांक 15/10/2010 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर आम सहमति से दान की भूमि में पंचायत भवन का निर्माण करवाया गया। निगरानीकार का कथन है कि उसका निगरानीधीन भूमि पर विगत 40 वर्षों से कब्जा रहा है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा मौका अवलोकन एवं कब्जे की जांच भी नहीं की गई, जो स्पष्टतयाः पंचायती राज अधिनियम के नियम 142 से 148 का उल्लंघन है।

पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की रिपोर्ट दिनांक 05/02/2024 से निगरानीकार का उक्त भूमि पर कब्जा होने का तथ्य दर्शित होता है। साथ ही अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की जांच रिपोर्ट में श्री रामूराम का एक पक्का मकान, दो छप्पर, चारों तरफ झाडियों की बाड बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है अंकित है तथा आम सहमति से दान की गई भूमि में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया अंकित है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त निगरानीधीन भूमि का पट्टा निगरानीकार के नाम जारी होना सिद्ध हो। अतः निगरानीधीन भूमि के पट्टे के संबंध में संदेहास्पद स्थिति है, जिसके संबंध में वर्तमान मौका स्थिति तथा निगरानीकार की सुनवाई पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

तदानुसार निगरानीकार की निगरानी अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सुण्डो का बास को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि निगरानीकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा मौके एवं कब्जे की जांच कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। तदानुसार तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर (तृतीय)
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर